न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा जिला बांसवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारीः पर्वतसिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 28 / 2015

उनवान मुकदमा

1. जीवणा पिता टिहिया उर्फ टिटिया निनामा जाति भील उम्र 66 निवासी ग्राम राणगी, पोस्ट खेडा वडलीपाडा तहसील आंबापुरा जिला बांसवाडा (राज.) —वादी

बनाम

1. मकु पिता दलींग निनामा जाति भील उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम राणगी, पोस्ट खेडा वडलीपाडा तहसील आंबापुरा जिला बांसवाडा (राज.)
2. खातु पिता दलींग निनामा जाति भील उम्र 48 वर्ष निवासी ग्राम राणगी, पोस्ट खेडा वडलीपाडा तहसील आंबापुरा जिला बांसवाडा (राज.)
3. वालजी पिता दलींग निनामा जाति भील उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम राणगी, पोस्ट खेडा वडलीपाडा तहसील आंबापुरा जिला बांसवाडा (राज.)
4. तोला बेवा दलींग निनामा जाति भील उम्र 90 वर्ष निवासी ग्राम राणगी, पोस्ट खेडा वडलीपाडा तहसील आंबापुरा जिला बांसवाडा (राज.)
5. तहसीलदार तहसील आंबापुरा जिला बांसवाडा (राज.) —प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 209 आर.टी.एक्ट

निर्णय

दिनांक :— 27.07.2021

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया है । प्रस्तुत वाद वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 तक के संयुक्त परिवार के सदस्यगण है। उनके परिवार के मूल पुरूष टिहिया उर्फ टिटिया भील थे। एवं उपरोक्त पक्षकाराण गांव राणगी पटवार हल्का खेडा के निवासी है। उपरोक्त गांव राणगी की तहसील बांसवाड़ा थी। नई तहसील आंबापुरा नवसृजित हुई । उक्त तहसील के खाते में दर्ज खेतों में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 अपने अपने हिस्से में आये। सर्वे नम्बरान में कृषि करते आ रहे है। जमाबन्दी संवत 2067—70 गांव राणगी तहसील आंबापुरा की नई जमाबन्दी संख्या 25 पुरानी 26 के खाता संख्या 4 में मकु खातु वालजी पिता दलीग तोला बेवा दलींग भील साकिन देह खातेदार बहिस्सा बराबर दर्ज है। जो पटवार मण्डल खेडा से नकल प्राप्त की तो कुल खसरा संख्या 11 कुल रकबा 27.03 कुल लगान 14.69 दर्ज रेकार्ड है। जो निम्नानुसार है :—

क्र.स.	खसरा नम्बर	रकबा	लगान
1	3	6-09	3.22
2	4	0-06	0.09
3	5	3-13	3.87
4	47	3-02	3.29
5	75/57	1-00	0.50
6	76/57	1-00	0.31
7	80/ शा.न. 17-29	3-16	1.18
8	81/1	2-04	0.55
9	97/29	3-00	0.93
10	98/29	1-08	0.43
11	101/1	[illegible]	0.31
		[illegible]03	14.69

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2021.08.06 17:46:05 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] राजस्व रकार्ड जमाबन्दी [illegible] 2027 से 205[illegible] [illegible] खातेदार दलींग पिता टिहिया भील राजस्व रेकार्ड में दर्ज है [illegible] संख्या 1 [illegible] संयुक्त परिवार होने से उपरोक्त कृषि भूमि जीवणा एवं दली[illegible] संयुक्त रूप से कृ[illegible] आ रहे है। आज भी मृत खातेदार दलींग के वारीस संयुक्त रूप से कृषि कर रहे है। सामाजिक

रिवाज एवं जाति प्रथा अनुसार मूल खातेदार टिहिया भील की मृत्यु हो जाने के बाद नाम बडा भाई होने से जरिये म्यूटेशन चढ गया। उक्त म्यूटेशन खोलते वक्त न तो कानूनी नोटिस भेजा गया न ही वादी के जीवणा के कब्जा काश्त पूछा गया। सजरे में उनका नाम जोडे बिना बालाबाला राजस्व रेकार्ड में नाम उपरोक्त जमाबन्दी नई 25 व पुरानी 26 में खातेदार कृषक के खाते में दलींग की मृत्यु के बाद उसके वारीसान मकु वगैरेह प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम चढा दिया गया। दलीग बडा भाई होने से वादी एवं मृत खातेदार के बीच कोई विवाद नही था। दोनो भाई के बीच मौखिक बटवारा हो चुका है। वादी का नाम भी राजस्व रेकार्ड में चढा दुगा। अचानक दलींग खातेदार की मृत्यु हो जाने से प्रतिवादीगण दलीग के वारीसान का नाम म्यूटेशन वादी को कानूनी नोटिस दिया बिना कब्जे के बाबत पूछताछ किये बिना म्यूटेशन उत्तराधिकारी के नाम खोल दिया गया। वादी का नाम जुडने से रह गया। जो गैर कानूनी है। यह है कि टिहिया उर्फ टिटिया भील गांव राणगी के दो पुत्र हुवे। उसके बाद बडा लडका दलींग उसके बाद जीवण वादी है। दलीग ने तोला से विवाह किया उसके संजोग से मकु, खातु, वालजी उत्पन्न हुए। तोला दलीग की पत्नि थी। दलींग की मृत्यू के बाद उपरोक्त प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को खातेदार कृषक में नाम जोडा जबकि दलीग का भाई जीवणा संयुक्त परिवार का जीवित सदस्य है मौके पर वादी की कब्जा काश्त उपरोक्त खेतों में प्रत्येक खेत में 1/2 हिस्सा दलीग खातेदार के साथ निरन्तर रहता आया है। वादी क्लेमी टीनेन्ट की श्रेणी में आता है एवं संयुक्त रूप से वादी एवं प्रतिवादीगण लगान जमा कराते है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 2 को सगा काका होता है। जीवणा काका होने से इनका नाम खातेदारी में जुडवाने हेतु सभी प्रतिवादी 1 से 4 सहमत हो गये। दिनांक 27.02.2015 को शपथ पत्रों में तथ्यों को स्वीकार करते हुवे वादी जीवण का संयुक्त कृषि में 1/2 हिस्सा होने से शपथ पूर्वक बयान टाईप कराकर पब्लिक नोटिस से अटेस्टेड कराया और शपथ पत्र द्वारा सहमति प्रदान की। और किसी भी खातेदार को आपत्ति नही होना एवं भविष्य में किसी प्रकार की आपत्ति और उजर नही होगा स्वीकार किया। दिनांक 27–02–2015 को खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने पृथक पृथक शपथ पत्र बयानों में अपने अपने हस्ताक्षर व श्रीमती तोला ने अगुष्ठ निशानी करते हुए पहचान में अपने फोटो अटेस्टेड कराये। जीवणा वादी ने भी अपना शपथ पत्र लगाकार संयुक्त परिवार का होना एवं कृषि भूमि में संयुक्त रूप से कृषि करना स्वीकार किया। इस प्रकार उपरोक्त शपथ पत्र घटना की सत्यता को उजागर करते है। जो पटवारी से प्राप्त जमाबन्दी संवत 2067–2070 अनुलग्नक 1 शपथ पत्र कुल 5 अनुलग्नक 2 से 6 है। उपरोक्त घटना हो जाने के बाद वादी ने प्रतिवादीगणं संख्या 1 से 4 को कहा मेरा नाम खाते में दर्ज करा दो जिस पर पटवार से बात की पटवारी ने तहसीलदार साहब से पूछ कर जवाब दिया बांसवाड़ा जाकर दावा करे और बटवारे की डिक्री लाओ। जिस पर वादी बांसवाड़ा आया राजस्व रेकार्ड की पुरानी नकले जमीन की खाते की निकलवाने की अर्जी लगाई। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य जो बटवारा पुराना चला आ रहा है जो मौखिक रूप से किया गया था। लेकिन विधिवत बटवारा कानूनी रूप से कराना आवश्यक है। वादी का कब्जा होने से खेतों में सुधार करने व खाद्य–बीज इत्यादि डालने के कारण वादी राजस्व रेकार्ड में अपना नाम खातेदार कृषक की श्रेणी में जुडवाने एवं बटवारा का अधिकारी है।

वादपत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि वाद [illegible] के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्नानुसार डिक्री फरमाने निवेदन [illegible] 2067 से 2070 गांव राणगी पटवार हल्का खेडा तहसील [illegible] राज. के कुल खसरा संख्या 11 कुल रकबा 27.03 कुल लगान 14.69 मृ[illegible] खातेदार दलींग के कृषि भूमि में वादी जीवणा का 1/2 हिस्सा सगा भाई होने से एवं मौखिक बटवारे में प्रत्येक खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2021.08.06 17:46:05 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर में 1/2 भाग में कृषि करने एवं कब्जा करने से उपरोक्त खातेदार कृषक मकु खातु वालजी व तोला के साथ–साथ जीवणा का नाम 1/2 हिस्सा जोडा जावे। धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादी जीवणा को 1/2 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जावे। धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मुताबिक माननीय आप न्यायालय वादी के पक्ष में जो दादरसी देना उचित समझे दिलावे।

वादी पत्र के साथ फर्द दस्तावेज में जमाबन्दी संवत 2067–2070, खसरा गिरदावरी संवत 2071, सरपंच ग्राम खेडा वडलीपाडा द्वारा जारी वंशावली, शपथ पत्र वालजी, मकु, खातु, जीवणा, श्रीमती तोला आदि संलग्न किये है।

दिनांक 06.08.2015 को प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया । जिसमें बताया कि वाद पत्र की बिन्द संख्या 1 से 9 स्वीकार किये। बाकी कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नही दर्शाई है। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 खातेदारान के साथ वादी का भी खाते में नाम जुडवाने में एवं विधिवत बटवार राजस्व रेकार्ड में किये जाने से कोई आपत्ति नही है।

दिनांक 26.11.2015 को फर्द दस्तावेज में जमाबन्दी संवत 2027 से 2030, जमाबन्दी जमाबन्दी संवत 2031–2034, जमाबन्दी संवत 2038 से 2041, संवत 2051 से 2054, नामान्तरकरण संख्या 17, नामान्तकरण संख्या 37, नामान्तरकरण संख्या दिनांक 29.06.2000 संलग्न किये है।

मुख्य परीक्षण शपथ पत्र हमीरा पिता हरीया डिण्डोर, भावजी पिता बिजिया डिण्डोर, जीवणा पिता टिहिया प्रस्तुत किये है। जिसमें बताया कि उपरोक्त वाद ग्रस्त भूमि में वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य किसी प्रकार का विवाद नही है। दोनो को निरन्तर खेती करना एवं मौखिक रूप से बटवारा होना बताया है। बटवा कर नाम जुडवाने के लिये वाद किया है।

दिनांक 27.07.2021 को उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागणों की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने अपने कथन में वाद पत्र में गवाहो के शपथ पत्रों को दोहराया। वादी एवं प्रतिवादीगण को संयुक्त परिवार का होना बताया जाकर मौखिक बटवारे अनुसार व कब्जा अनुसार बटवारा कर वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित करने हेतु निवेदन किया। प्रतिवादी अधिवक्ता ने भी संयुक्त परिवार का होना बताया साथ निरन्तर भी खेती करना बताया। दलीग का सगा बडा भाई वादी जीवणा व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का काका के नाम 1/2 हिस्सा भूमि खातेदारी दर्ज की जाकर बटवारा किया जावे।

उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक गणों की बहस पर मनन एवं पत्रावली में वाद पत्र, जवाब दावा, शपथ पत्रों एवं सलग्न दस्तावेजो का गहन अध्ययन किया तो पाया कि वादग्रस्त भूमि के जमाबन्दी संवत 2027–30, 2031–34, 2038–41, 2051–54 मूल खातेदार दलीग पिता टिहिया उर्फ टिटिया निनामा के नाम भूमि आवंटन होकर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। जमाबन्दी संवत 2067 से 2070 में मकु खातु वालजी पिता दलींग तोला बेवा दलींग भील साकिन देह खातेदार कृषक के रूप में राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। जो कानूनी एवं विधिवत दर्ज हुई है। विवादग्रस्त भूमि पैतृक खातेदारी भूमि नही है। अतः प्रथम दृष्टया पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड अनुसार एवं वादी के वादपत्र सारहीन होने से वाद पत्र अस्वीकार किया जाता है।

आज वास्त इनफिसाल कतई बाबत वादी का वाद खारीज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.07.2021 को सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2021.08.06 17:46:05 IST
Reason: SelfAttested

(पर्वतसिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा (राज.)

उपखण्ड मजिस्ट्रेट बांसवाड़ा (राज.)